

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/727- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास-प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव सक्तपुर में प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव सक्तपुर में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 136/90 दिनांक 31 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर- बिन्दु "ए" से लेकर जो कि गांव हसनपुर, सक्तपुर तथा सिकोहपुर की सीमा रेखा है। उसके बाद, गांव सक्तपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ साथ पूर्वी की ओर बिन्दु "बी" तक, जोकि अर्थात् संख्या 7 का दक्षिण-पूर्वी कोना है

पूर्व- उसके बाद, गांव सक्तपुर और गैरतपुर-बास की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु "सी" तक, जो गांव गैरतपुर बास की आयत संख्या 4 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

दक्षिण- उसके बाद, आयत संख्या 4 और 5 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 11 और 16 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ दक्षिण की ओर, उसके बाद आयत संख्या 16 और 17 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 23 की पूर्वी सीमा के साथ साथ दक्षिणी की ओर उसके बाद आयत संख्या 23,22 और 21 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "डी" तक, जाकि गांव गैरतपुर बास की आयत संख्या 21 का दक्षिणी पश्चिमी कोना है।

पश्चिम- बिन्दु "डी" से लेकर उसके बाद आयत संख्या 21,20 और 8 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ई" तक जोकि गांव गैरतपुर बास की आयत संख्या 8 का उत्तर-पश्चिमी कोना है। उसके बाद, गांव सक्तपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "एफ" तक जो कि गांव नौरंगपुर, सक्तपुर और गैरतपुर बास की सीमा रेखा है। उसके बाद, गांव सक्तपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए" तक, अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22th January, 1991

No. JD-91/727- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village-Sakatpur, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act,-

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village- Hasan Pur, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 136/90 dated 31th March 1990.

SCHEDULE

North:-Starting from point 'A' which is the trijunction of village Hassanpur, Sakatpur & Sikohpur. Thence towards east along the Northern revenue boundary of village Sakatpur upto point 'B' which is the south-eastern corner of Rect.

East:- Thence towards South along the Eastern revenue boundary of village Sakatpur & Gairatpur Bas upto point 'C' which is the South Eastern Corner of Rect. No. 4 of village Gairatpur Bas.

South:-Thence towards west along the Southern boundaries of Rect. No. 4 &5 thence to wards South along the Eastern boundaries of Rec. No. 11 & 16, thence towards west along the southern boundaries of Rect. 16 & 17. Thence towards West along the southern boundaries of Rect. No. 23,22 & 21 upto point 'D' which is the south western corner of Rect. No. 21 of village Gairatpur Bas.

West:- From point 'D' thence towards north along the western boundary of Rect. No. 21,20 & 8 upto point 'E' which is the North western corner of Rect. No. 8 of village Gairatpur Bas. Thence towards west along the southern boundary of village Sakatpur upto 'F' which is trijunction of Village Naurangpur, Sakatpur & Gairatpur Bas. Thence to wards North along the western revenue boundary of Village Sakatpur upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.